TATA

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 11वां तल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर पार्ल, मुंबई-400013
शाखा पताः टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बी-36, प्रथम एवं द्वितीय तल, लाजपत नगर-पार्ट 2, एचडीएफसी बैंक के ऊपर, नई दिल्ली-110024

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु सूचना

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) के अंतर्गत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) एवं नियम 9(1) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ के लिए 30 दिन का ई-नीलामी सूचना

एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में निम्न ऋणकर्ता तथा/सह-ऋणकर्ता, अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों (ऋणकर्ताओं) को विशिष्ट रूप में सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. (टीसीएचएफएल) के पास बंधककृत निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका कब्जा टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, का विक्रय जो है को **26.06.2026** को **"जैसी है जहां है" एवं "जैसी है जो है" और "वहां जो कुछ भी हैं"** और बिना किसी संशोधन आधार के आधार पर, निम्न वर्णित ऋणकर्ताओं एवं सह-ऋणकर्ताओं की ओर से बकाया देयराशियों की वसूली के लिए किया जाएगा। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा का उल्लेख नीचे किया गया है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विक्रय के किसी स्थगन/समापन की अनुपस्थिति में, उक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति/संपत्ति का विक्रय ई-नीलामी द्वारा उक्त 26.06.2026 को अप. 2.00 बजे कर दिया जाएगा। ई-नीलामी में प्रतिभागिता करने के लिए धराज के डिमांड ड्राफ्ट से युक्त मोहरबंद लिफाफा टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी के पास 25.06.2026 को सायं 5 बजे तक अथवा इससे पूर्व शाखा के पते, **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**, बी-36, प्रथम एवं द्वितीय तल, लाजपत नगर-पार्ट 2, एचडीएफसी बैंक के ऊपर, नई दिल्ली-110024 पर प्रस्तुत/जमा करना होगा। प्रतिभूत परिसंपत्ति/अचल संपत्ति का विक्रय जो है, वह यहां इसमें निम्न विवरणित संक्षिप्त विवरणों के अनुसार "जैसी है जहां है अवस्था" पर आधारित होगा:

क्र सं	ऋण खाता सं.	ऋणकर्ता(ओं)/सह-ऋणकर्ता(ओं)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिकप्रतिनिधि/गारंटर(रों) के नाम	मांग सूचना का दिनांक	आरक्षित मूल्य	निम्नानुसार बकाया राशि
1.	TCHHL07200001 00316303 & TCHIN072000010 0318516	श्री गोपाल प्रकाश पुत्र श्री कृपाल आर्य, श्रीमती विनीता देवी पत्नी श्री गोपाल प्रकाश	रु. 16,13,130/- 06-02-2025	रु 19,03,800/- बयाना जमा राशि (ईएमडी)- रु 1,90,380/- आविपत्य का प्रकारः भौतिक	रु 1898533/- 14-05-2026

अचल संपत्ति का विवरणः निम्नलिखित का समस्त टुकड़ा एवं अंश : बिक्री विलेख में उल्लिखित सभी सामान्य सुविधाओं के साथ आवासीय प्लॉट संख्या बी-39 और 40 के भाग, खसरा संख्या 365,रूबी एन्क्लेव, हदबस्त गांव, सदुल्लाबाद, परगना और तहसील-लोनी, जिला- गाजियाबाद-201102 में स्थित आवासीय फ्लैट संख्या यूजीएफ-03, एमआईजी, ऊपरी भूतल, छत के अधिकार के बिना, सामने/पश्चिमी भाग, जिसका कुल आवरण क्षेत्रफल 380 वर्ग फुट या 35.30 वर्ग फुट है। **प्लॉट की सीमाएँ: पूर्व-**आवासीय खाली प्लॉट, रास्ता 15 फीट चौड़ा, **पश्चिम –** रास्ता 18 फीट चौड़ा, **उत्तर-**रास्ता 20 फीट चौड़ा, **दक्षिण –** आवासीय खाली प्लॉट संख्या 41

टिप्पणी : बोलीदाताओं को बोली जमा करने से पहले उचित जांच-पड़ताल करने की सलाह दी जाती है। नीलामी किसी भी मुकदमे या विवाद के परिणाम के अधीन होगी। नीलामी में आम जनता को व्यक्तिगत रूप से अपनी बोली जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस बिक्री से संबंधित किसी भी कर्तव्य का निर्वाह करने वाला कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बेची गई अचल संपत्ति में किसी भी प्रकार का हित प्राप्त करने, प्राप्त करने या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा। यह बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निर्धारित शर्तों और निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी. संपत्तियों की ई-नीलामी पोर्टल **https://auctionbazaar. com** के माध्यम से 26-05-2026 को दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे के बीच होगी, जिसमें प्रत्येक बार 5 मिनट का सीमित विस्तार दिया जाएगा।
नियम एवं शर्तें: (1) यहां इसमें निम्न दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट विवरण यद्यपि अधोहस्ताक्षरकर्ता की संपूर्ण जानकारी के अनुसार वर्णित किए गए हैं, तथापि अधोहस्ताक्षरकर्ता इस उद्घोषणा में हुई/होनेवाली किसी त्रुटि, त्रुटिपूर्ण-विवरण अथवा चूक हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे। बोली राशि से संबंधित, अथवा बोलीदाता से संबंधित, किसी विवाद के उत्पन्न होने की स्थिति में अचल संपत्ति को एक बार फिर से नीलामी के लिए रख दिया जाएगा, जो प्राधिकृत अधिकारी के विवेकाधीन होगा। **(2)** अचल संपत्ति का विक्रय आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं किया जाएगा। **(3)** बोली वृद्धि राशि रु.10,000/- (रुपए दस हजार मात्र) होगी। **(4)** संपत्ति के क्रयार्थ जमा/प्रस्तुत की गई समस्त बोलियों के साथ उपर्युक्तानुसार धरोहर राशि "टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि." के पक्ष में आहरित शाखा पते पर भुगतानयोग्य डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से संलग्न होनी चाहिए। नीलामी के उपरांत असफल बोलीदाताओं को डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिए जाएंगे। एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के माध्यम से ईएमडी के भुगतान के लिए कृपया अधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। **(5)** सर्वोच्च बोलीदाता को तब ही सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया जाएगा, जब वह सदैव बोलीदान हेतु विधिक रूप में अर्हकृत पाया जाता है और इसके अतिरिक्त जब उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम नहीं हो। यह 'प्राधिकृत अधिकारी' के विवेकाधीन होगा कि वे उस स्थिति में सर्वोच्च बोली की स्वीकृति को अस्वीकार कर सकते हैं जब उन्हें यह ज्ञात हो कि प्रस्तावित मूल्य स्पष्टतः इतना अपर्याप्त है कि यह बोलीदान करने के लिए अनुचित लग रहा हो। **(6)** अभिलेखित कारणों के लिए यह 'प्राधिकृत अधिकारी' के विवेक पर होगा कि वे विक्रय स्थगित कर दें/उसे समाप्त कर दें। **(7)** अचल संपत्ति का अवलोकन जो है वह पूर्व नियुक्ति के साथ 19.06.2026 को 11.00 बजे से लेकर के 5.00 बजे तक किया जा सकता है। **(8)** एक सफल बोलीदाता के रूप में घोषित हो चुके व्यक्ति को तत्काल, ऐसी घोषणा के बाद, क्रयराशि/बोली की 25 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी, जिसमें धराज राशि भी सम्मिलित होगी, और यह राशि 'प्राधिकृत अधिकारी' के पास 24 घंटों के अंदर जमा करनी होगी, और यह राशि जमा करने में चूक होने पर संपत्ति को तत्काल प्रभाव से निजी संधि द्वारा की जानेवाली नई नीलामी/विक्रय हेतु रख दिया जाएगा। **(9)** यदि उपरोक्तानुसार आंशिक राशि जमा कर दी जाती है तो क्रयराशि की शेष रकम का भुगतान क्रेता द्वारा 'प्राधिकृत अधिकारी' को संपत्ति के विक्रय की अभिपुष्टि की तिथि से 15वें दिवस को अथवा इससे पूर्व करना होगा, इसमें ऐसा दिवस छूट जाएगा, अथवा यदि 15वें दिन रविवार या अन्य अवकाश पड़ता है तो तब 15वां दिवस जो होगा वो अवकाशों के बाद आनेवाला प्रथम कार्यालय दिवस होगा। **(10)** ऊपर वर्णित अवधि के अंदर किसी भुगतान में चूक होने की स्थिति में संपत्ति को निजी संधि द्वारा नई नीलामी/विक्रय हेतु रख दिया जाएगा। धराज सहित अन्य जमा राशियों को टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और चूककर्ता क्रेता संपत्ति से संबंधित समस्त दावों से वंचित हो जाएगा। **(11)** टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. को ज्ञात किसी भारग्रस्तता के विवरण, जिस हेतु संपत्ति है : उपरोक्त तालिका के अनुसार। इच्छुक बोलीदाता को सलाह है कि वे संवैधानिक प्रदेयताओं सपंत्ति कर, विद्युत इत्यादि के बकायों सहित संपत्ति पर भारग्रस्तताओं के संबंध में अपने स्वयं के स्तर पर स्वतंत्र जांच-पड़ताल कर लें। **(12)** किसी अन्य विवरण के लिए अथवा ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण की प्रक्रिया हेतु प्रस्तावित बोलीदातागण जो हैं वे सेवा प्रदाता,एआरसीए ईनार्ट प्राइवेट लिमिटेड, 6-3-1090/1/1, द्वितीय मंजिल, भाग बी, उमा हैदराबाद हाउस, राजभवन रोड, सोमाजीगुडा, हैदराबाद- 500082 ईमेल आईडी: contact@auctionbazaar.com / support@auctionbazaar. com से अथवा श्री मनीष बंसल को उनकी ई-मेल आईडी:Manish.Bansal@tatacapital.com टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी, मोबाइल नं. 8588983696 पर संपर्क कर सकते हैं। कृपया अपने प्रश्नों को क्वाट्सऐप नंबर – 9999078669 पर प्रेषित करें। **(13)** सर्वोच्च घोषित बोली राशि पर 1 प्रतिशत का टीडीएस लागू होगा जिसका सर्वोच्च बोलीदाता द्वारा भुगतान किया जाना है। सर्वोच्च बोलीदाता को भुगतान को स्वामी/ऋणकर्ता(ओं) के पैन के अंतर्गत जमा करने की आवश्यकता है और चालॉन की प्रति हमारी कंपनी के पास जमा/प्रस्तुत करनी होगी। **(14)** उपरोक्त विवरणों के लिए कृपया प्रतिभूति ऋणदाता की वेबसाइट में उपलब्ध निम्न लिंक www.https://surl.li/pvuzpe का संदर्भ ग्रहण करें। 15. कृपया इस लिंक :https://www.tatacapital.com/property-disposal.html पर भी जाएँ।
कृपया नोट करें-टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति के विक्रय/नीलामी के लिए उक्त वर्णित नीलामकर्ता साझीदार के अलावा किसी अन्य ब्रोकर/एजेंट को कार्यव्यस्त नहीं किया है। इच्छुक पक्षकारों को इस विषय के संबंध में पूछे जानेवाले समस्त प्रश्नों एवं पूछताछों के लिए केवल अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करना चाहिए।

स्थान : दिल्ली — **हस्ता /- प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक :25.05.2026 — **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमि**

ICICI PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर: L99999DL1993PLC054135

रजिस्टर्ड ऑफिस: 12वीं मंज़िल, नारायण मंज़िल, 23, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली 110 001
कॉर्पोरेट ऑफिस: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड टॉवर, वाकोला, सांताक्रूज़ ईस्ट, मुंबई - 400055
टेल: +91 22 6647 0200/2652 5000 **फैक्स:** +91 22 6666 6582/83
वेबसाइट: www.icicipruamc.com, **ईमेल:** amcinvestors@icicipruamc.com

तैंतीसवीं (३३वीं) वार्षिक आम बैठक और अंतिम लाभांश के लिए रिकॉर्ड डेट के संबंध में सूचना

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (द एएमसी/कंपनी) के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी की ३३ वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, २४ जून, २०२६ को दोपहर २:३० बजे (आयएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (औएव्हीएम) के जरिए होगी, जिसमें सदस्यों को शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी और यह बैठक कंपनी अधिनियम, २०१३ के लागू प्रावधानों, इसके नियमों और इसके साथ पठीत किये गये कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालयद्वारा जारी किए गए सामान्य परिपत्रों दिनांक ८ अप्रैल २०२०, ५ मई २०२० और इसके बाद जारी अन्य परिपत्रों जिसमें नवीनतम परिपत्र २२ सितंबर, २०२५ का है (एमसीए परिपत्रें) के नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए आयोजित की जा रही है।

एमसीए के सर्कुलर्स और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस, २०१५ (लिस्टिंग रेंगुलेशंन) के नियमों का पालन करते हुए, वित्तीय वर्ष २०२६ की वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम का नोटिस कंपनी के उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (ईमेल) से भेजा जाएगा, जिनका ईमेल पता कंपनी, या उसके रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट – केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (केफिन), या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डिपीज) के पास निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकृत है। जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उन्हें कंपनी/केफिन/डिपीज के रिकॉर्ड में दर्ज उनके पते पर भेजे जानेवाले पत्र में कंपनी की वेबसाइट का वह सटीक लिंक दिया जाएगा, जिसके जरिए वे वित्तीय वर्ष २०२६ की वार्षिक रिपोर्ट देख सकेंगे।

वित्तीय वर्ष २०२६ की वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम का नोटिस कंपनी की वेबसाइट https://www.icicipruamc.com/investor-relations और इसके अलावा, यह स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों – यानी बीएसई लिमिटेड की www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की www.nseindia.com तथा ई-वोटिंग एजेंसी यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी। एजीएम में शामिल होने के विस्तृत निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए जाएंगे।

कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा देने के लिए एनएसडीएल को नियुक्त किया है। कंपनी अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा देगी, ताकि वे एजीएम नोटिस में दिए जाने वाले सभी प्रस्तावों पर अपना वोट दे सकें। ई-वोटिंग की यह सुविधा एजीएम बैठक के दौरान भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उपयोग वे सदस्य कर सकेंगे जो बैठक में शामिल हो रहे हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए पहले अपना वोट नहीं डाला है। रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान वोटिंग करने की पूरी विस्तृत प्रक्रिया एजीएम के नोटिस में दी जाएगी।

कंपनी के निदेशक मंडल ने १३ अप्रैल २०२६ को हुई अपनी बैठक में, आगामी एजीएम में सदस्यों की मंजूरी के लिए १ रु. के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर १२.४० रु. का अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की थी। कंपनी ने ३१ मार्च २०२६ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्राप्त करने के पात्र सदस्यों को निर्धारित करने के लिए शुक्रवार, १२ जून २०२६ को रिकॉर्ड डेट तय निर्धारित किया है। यदि सदस्यों द्वारा इस अंतिम लाभांश को मंजूरी दे दी जाती है, तो वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के बाद लागू नियामक समय सीमा के भीतर इसका भुगतान कर दिया जाएगा।

आयकर अधिनियम, 2025, जैसा कि वित्त अधिनियम, 2026 के द्वारा वर्तमान प्रावधानों के अनुसार संशोधित किया गया है, कंपनी द्वारा भुगतान या वितरित किया जाने वाला लाभांश, सदस्यों के हाथों में कर योग्य होगा। इसलिए, कंपनी के लिए यह आवश्यक होगा कि, वह सदस्यों को लाभांश का भुगतान करते समय निर्धारित दरों पर उदगम कर (टीडीएस) काटे। कंपनी इस संबंध में उन सभी सदस्यों को विस्तृत जानकारी भेजेगी, जिन्होंने अपना ईमेल पता कंपनी/केफिन/डिपीज के पास पंजीकृत किया है।

ईमेल पता/बैंक खाते के विवरण को पंजीकृत करने या संशोधित करने का तरीका

डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य

सदस्य अपने संबंधित डीपी के पास अपने ईमेल पते / बैंक खाते के विवरण को पंजीकृत या संशोधित करा सकते हैं

कागजी सर्टिफिकेट के रुप में शेयर रखने वाले सदस्य

कागजी सर्टिफिकेट के रुप में शेयर रखने वाले सदस्यों को अपना ईमेल पता/बैंक खाते का विवरण पंजीकृत या संशोधित करने के लिए पूरी तरह से भरा हुआ फॉर्म आयएसआर-१ और उसके साथ उसी फॉर्म में बताए गए अन्य जरूरी दस्तावेजों को एएमसी के रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड यूनिट: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट ३१-३२, गाचीबोवली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - ५०० ०३२ के पास जमा करना होगा। फॉर्म आयएसआर-१ केफिन की वेबसाइट https://ris.kfintech.com/clientservices/investors/isrs.aspx पर उपलब्ध है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे लाभांश का पैसा सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (इसीएस) मैंडेट को डिपी (अगर शेयर डीमैटरियलाइज्ड रूप में हैं) और केफिन (अगर शेयर कागजी सर्टिफिकेट रूप में हैं) के पास संशोधित करें।

यह नोटिस कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी किया जा रहा है, और यह एमसीए के विविध परिपत्रक तथा लिस्टिंग रेगुलेशंस के लागू प्रावधानों के पूरी तरह अनुपालन के अनुसार है।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के लिए
एसडी/-
राकेश शेट्टी
मुख्य अनुपालन अधिकारी और कंपनी सचिव
A15506

स्थल : मुंबई
तारीख : 23 मे, 2026

कार्यालय वसूली अधिकारी-I
ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

बिक्री उद्घोषणा सूचना

टी.आर.सी. सं. 247/2019

केनरा बैंक बनाम नीलम तकियार

बैंक और वित्तीय संस्थान बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 38,52(2) के तहत बिक्री की घोषणा

(सीडी1) **श्रीमती नीलम तकियार,** मैसर्स करण फैब की प्रोपराइटर, श्री हरीश कुमार की पत्नी, जिनका रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ है: हे-248-1, स्ट्रीट नंबर 5, वीरेंद्र नगर, नई दिल्ली।
इसके अलावा: आरजेड-4ए, स्ट्रीट नंबर 12, सीतापुरी, पंखा रोड, नई दिल्ली-110045.
इसके अलावा: आरजेड-ए-139, सीतापुरी, पंखा रोड, नई दिल्ली-110045.
(सीडी2) **श्री सुनील कुमार, श्री विनोद कुमार** के पुत्र, निवासी एल-72/डी, ब्लॉक-एल, डीडीए जनता फ्लैट्स, साकेत, नई दिल्ली-110058.
(सीडी3) **श्रीमती ललिता रानी पत्नी श्री चमन लाल,** डब्ल्यूजेड-248-1, स्ट्रीट नंबर 5, वीरेंद्र नगर, नई दिल्ली-110058.

1. जैसा कि, ऋण वसूली अधिकरण-II के पीठासीन अधिकारी द्वारा ओ.ए. संख्या 44/2017 में दिनांक 15.05.2019 को वसूली प्रमाण पत्र संख्या 247/2019 जारी किया गया था। यह प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र कर्जदारों से **रु. 2,83,40,413.45/- (रुपये दो करोड़ तिरासी लाख चालीस हजार चार सौ तेरह और पैंतालीस पैसे मात्र)** की राशि की वसूली के लिए है। इस राशि के साथ-साथ, वाद दायर करने की तारीख से लेकर वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार लागत और शुल्कों सहित, 12.45% प्रति वर्ष की दर से मुकदमा लंबित रहने की अवधि का ब्याज भी देय है।
2. नीलामी/बोली केवल ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ई-नीलामी वेबसाइट **https://baanknet.com** के माध्यम से ही की जाएगी।
3. इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता के पास अपनी भागीदारी के लिए काफी पहले से पंजीकरण करवाना होगा, और ई-नीलामी में भाग लेने के लिए 'यूजर आईडी' और 'पासवर्ड' प्राप्त करना होगा। यह केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है, जब नीचे बताए गए निर्धारित तरीके से आवश्यक 'जमा धरोहर राशि' (ईएमडी) जमा कर दी गई हो।
4. ईएमडी दिनांक 09.07.2026 को सुबह 10:00 बजे तक, **'वॉलेट बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क'** (बैंकनेट) **https://baanknet.com** में जमा कर दी जानी चाहिए। इसके बाद जमा की गई ईएमडी को ई-नीलामी में भागीदारी के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. उपरोक्त के अतिरिक्त, पैन कार्ड की प्रति, पते का प्रमाण और पहचान का प्रमाण, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर, तथा कंपनी के मामले में—कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा पारित **'बोर्ड प्रस्ताव'** की प्रति (या कंपनी के प्रतिनिधित्व/अटॉर्नी की पुष्टि करने वाला कोई अन्य दस्तावेज)—दिनांक 09.07.2026 को सुबह 10:00 बजे तक ई-नीलामी वेबसाइट पर सॉफ्टकॉपी अपलोड करके जमा किए जाने चाहिए। साथ ही, ईएमडी जमा करने की रसीदों के साथ इन दस्तावेजों की हार्डकॉपी भी दिनांक 09.07.2026 तक 'वसूली अधिकारी-क् डीआरटी-क्क् दिल्ली' के कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि असफल बोलीदाताओं की जमा धरोहर राशि, भुगतान के उसी माध्यम से, संबंधित बोलीदाताओं के खातों में वापस कर दी जाएगी।
5. संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता से ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

नीलामी एजेंसी का नाम	एसेट ऑक्शन नेटवर्क (बैंकनेट)
सम्पर्क व्यक्ति	बैंकनेट के प्राधिकृत अधिकारी
हेल्पलाइन नं.	+7046612345/6354910172/8291220220/9892219848/8160205051
हेल्पलाइन ई-मेल पता	Support.BAANKNET@psballiance.com
बैंक अधिकारी	श्री मनोज कुमार (मुख्य प्रबंधक) केनरा बैंक : 9560062365 तथा सुश्री मोनिका सिंह, मो.नं.: 9205831442; **cb2365@canarabank.com**

6. संभावित बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली जमा करने से पहले बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों और प्रक्रिया के लिए वेबसाइट **https://baanknet.com** पर जाएं।
7. संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी।
8. संपत्ति उपरोक्त लॉट में उल्लिखित आरक्षित मूल्य के साथ 01 लॉट में बेची जाएगी।
9. बोलीदाता को संपूर्ण नीलामी अवधि के दौरान रु. 50,000/- के गुणकों में प्रस्ताव में सुधार करना होगा।
10. संपत्ति **'जहाँ है जैसी है'** के आधार पर बेची जाएगी और ई-नीलामी एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित अन्य नियमों और शर्तों के अधीन होगी।
11. उच्चतम बोलीदाता को अपनी अंतिम बोली राशि का 25% वॉलेट बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क (**BAANKNET**) **https://baanknet.com** में पहले से भुगतान की गई ईएमडी के समायोजन के बाद तत्काल अगले बैंक कार्य दिवस शाम 4:00 बजे तक वसूली अधिकारी, डीआरटी-II, दिल्ली खाता टी.आर.सी. क्रमांक 247/2019 के पक्ष में डिमांड ड्रॉफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से जमा करना होगा।
12. सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता को संपत्ति की बिक्री की तारीख से 15वें दिन या उससे पहले बिक्री प्रतिफल राशि का शेष 75% जमा करना होगा। यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश है, तो तत्काल पहले बैंक कार्य दिवस पर वसूली अधिकारी, डीआरटी- क्क् दिल्ली खाता आर.सी. क्रमांक 247/2019 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से जमा करें।
उपरोक्त के अलावा, क्रेता को रजिस्ट्रार, डीआरटी-II, दिल्ली के पक्ष में डीडी के माध्यम से कुल बिक्री प्रतिफल राशि पर 1% पाउंडेज शुल्क (तथा रु. 10) भी जमा करना होगा।
पाउंडेज की फीस के लिए तैयार किया गया डीडी सीधे वसूली अधिकारी, डीआरटी-क्क् दिल्ली के कार्यालय में जमा किया जाएगा।
13. यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो जमा की गई राशि (बिक्री के खर्चों को काटने के बाद) को—यदि अधोहस्ताक्षरी अधिकारी उचित समझें—सरकारी खाते में जब्त किया जा सकता है; और भुगतान में चूक करने वाला क्रेता, उस संपत्ति या जमा की गई राशि पर अपने सभी दावों से वंचित हो जाएगा।
बिक्री की नई घोषणा जारी करने के तुरंत बाद, उस संपत्ति को फिर से बेच दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, खरीदार उस राशि की भरपाई करने के लिए भी उत्तरदायी होगा, जो उसकी अंतिम बोली की राशि और बाद में जिस कीमत पर संपत्ति बेची जाती है, उसके बीच के अंतर या कमी के रूप में सामने आती है।
14. नीलामी का कार्यक्रम इस प्रकार है:-

सभी माध्यम से नोटिस की सर्विस	26.05.2026	
सम्पत्ति का निरीक्षण	15.06.2026	
जमा धरोहर राशि के प्रमाण और नीलामी एजेंसी पोर्टल के दस्तावेज अपलोड करने के साथ भौतिक बोलियाँ प्राप्त करने की अंतिम तिथि	09.07.2026	10:00 बजे पूर्वा. तक
ई-नीलामी की तिथि एवं समय	09.07.2026	11:00 बजे पूर्वा. से 1:00 बजे अप.

15. वसूली अधिकारी के पास किसी भी बोली या बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने, अथवा बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी को स्थगित या रद्द करने का पूर्ण अधिकार है।
इस अधिकरण की मुहर के साथ, मेरे हस्ताक्षर के अधीन, दिनांक 17.04.2026 को जारी किया गया।

(अर्चना सहगल)
वसूली अधिकारी-I,
डीआरटी-II, दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

[दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 ("आईबीसी") की धारा 102 के तहत]

श्रीमती सोनिया कपिल के लेनदारों के ध्यान के लिए

यह सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (न्यायालय-2) खंडपीठ ने सीपी (आईबी) संख्या 836(एनडी)/2024 में इंडसइंड बैंक लिमिटेड (प्रस्ताव पेशेवर के माध्यम से) द्वारा दायर किए गए मामले आईबीसी 2016 की धारा 95 (1) के तहत व्यक्तिगत गारंटर जो कॉर्पोरेट देनदार अर्थात मेसर्स कॉम्पैक्ट लैंप्स प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएन नंबर यू31501डीएल2005पीटीसी140073) को दी गई व्यक्तिगत गारंटी के लिए **श्रीमती सोनिया कपिल** के खिलाफ आदेश दिनांक **22.05.2026** (प्राप्त दिनांक 23.05.2026) द्वारा आईबीसी की धारा 100 के तहत दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया को शुरू करने का आदेश दिया है।
तदनुसार, **सुश्री सोनिया कपिल** के लेनदारों को इसके द्वारा आमंत्रित किया जाता है कि वे अपने दावों को प्रमाण सहित, निर्धारित फॉर्म बी में, 11.06.2026 को या उससे पहले, प्रस्ताव पेशेवर के पते डी-69, एलजीएफ, सपना सिनेमा रोड, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 पर, या pgirpcompact@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से जमा (पंजीकृत) करें।
लेनदार अपने दावों का विवरण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, या स्वयं उपस्थित होकर, या पंजीकृत डाक से, या स्पीड पोस्ट से, या कूरियर द्वारा जमा (पंजीकृत) कर सकते हैं।

क्र सं	व्यक्तिगत गारंटर श्रीमती सोनिया कपिल का विवरण	
1	व्यक्तिगत गारंटर का नाम	**सुश्री सोनिया कपिल**
2	व्यक्तिगत गारंटर का पता	**मकान नंबर 349, सेक्टर-15ए, नोएडा, उ.प्र- 201301**
3	दिवालिया की प्रारंभिक तिथि	22.05.2026 (आदेश 23.05.2026 को प्राप्त हुआ)
4	अनुमानित समापन तिथि	**17.10.2026**
5	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	**11.06.2026**
	प्रस्ताव पेशेवर का विवरण	
6	नाम और पंजीकरण नंबर	**श्री विजय किशोर सक्सेना** IBBI/IPA-001/IP-P01766/2019-2020/12708 एएफए वैध है: .30.06.2027
7	पता और ईमेल (पंजीकृत)	तीसरी मंज़िल, 100, कैलाश हिल्स, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 ई-मेल: vksaxena2159@gmail.com.
8	पता और ईमेल (पत्राचार)	डी-69, एलजीएफ, सपना सिनेमा रोड, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 ई-मेल: PGIRPCOMPACT@GMAIL.COM फोन: 011-36602191/41021100

गलत या गुमराह करने वाले दावे प्रस्तुत करने पर, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 या किसी अन्य लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार दंड लगाया जाएगा।

(हस्ता/-)
तिथि: 25.05.2026 — **विजय कुमार सक्सेना**
स्थान: नई दिल्ली — **प्रस्ताव पेशेवर**

पंजीकृत कार्यालय: 410-412,18/12, चौथी मंजिल, डब्ल्यू.ई.ए., आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005,
कॉर्पोरेट कार्यालय: 716-717, सातवीं मंजिल, टॉवर बी, वर्ल्ड ट्रेड टॉवर, सेक्टर 16, नोएडा, 201301, उत्तर प्रदेश, फोन: +91 120 4290650/52/53/54/55, ईमेल: info@cslfinance.in, Legal@cslfinance.in, वेब: www.cslfinance.in
CIN: L74899DL1992PLC051462

CSL Finance Limited

अचल सम्पत्ति हेतु कब्जा सूचना
[(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने, **सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड** (इसमें आगे कम्पन